कार्यालय अध्यक्ष,राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाऐ,फीस निर्धारण समिति, राजीव गांधी विद्या भवन, द्वितीय तल,शिक्षा संकुल, जयपुर

विज्ञप्ति

राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) अधिनियम 2013 की धारा 7 की (1) के उपधारा खण्ड 2(ख) के तहत अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति को यह सत्यापित करने की शक्तियां देती है कि क्या निजी विद्यालयों द्वारा प्रस्तावित फीस न्याय संगत है और मुनाफाखोरी या अत्यधिक फीस की श्रेणी में तो नहीं आती है ? इसी अधिनियम की धारा 2 (ख) फीस को परिभाषित करती है और इस धारा के अनुसार निजी शिक्षण संस्था द्वारा किसी भी कक्षा या पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगृहित कोई भी रकम चाहे वह किसी भी नाम से हो, फीस के अन्तर्गत आती है।

समिति की ध्यान में आया है कि कुछ निजी शिक्षण संस्थाएं निम्न तरीके से मनमाने तौर पर रकम वसूल कर रही है। अतः राजस्थान के सभी निजी शिक्षा संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न प्रारूप में अपना शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक,राज0–बीकानेर एवं संस्कृत शिक्षा विभाग,जयपुर को एक माह में प्रस्तुत करेगे :–

शपथ–पत्र

मैं .....पुत्र श्री.....जाति.....

उम्र.....निवासी.....पद.....कार्यरत स्थान.....

शपथपूर्वक बयान करता हूं कि :–

01. यह है कि हमारी संस्था द्वारा पुस्तके व कॉपियां एवं पुस्तक विक्रेता को एन्गेज कर नहीं बेची जाती है तथा पुस्तक विक्रेता से बेची गई पुस्तकों–कॉपियों का कमीशन नहीं लिया जाता है। विक्रय की गई पुस्तकों व कॉपियों का विवरण छात्र को दे दिया जाएगा और मांगने पर कैश मेमो भी दे दिया जाएगा।

02. यह है कि छात्रों को ड्रेसेज भी विद्यालय द्वारा निर्धारित दुकानों से ही खरीदने के निर्देश नहीं दिये जाते है।

03. यह है कि विद्यालय में बेजेज व टाई खरीदना अनिवार्य नहीं किया जाता है।

04. यह है कि छात्र के माता–पिता अथवा अभिभावक को शिक्षण संस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है जिससे कि शिक्षण संस्था द्वारा दी गई सुविधाओं की जांच हो सके।

05. यह है कि शिक्षण संस्थाएं कैन्टीन में पेटीज, आईसक्रीम व अन्य खाद्य पदार्थ जो कि अनहाइजेनिक होते है, विक्रय नहीं किये जाते है।

06. यह है कि यदि छात्र की तिमाही फीस 10तारीख के बाद जमा कराई जाती है तो उस पर फाईन (दण्ड शुल्क) नहीं लगाया जाता है।

07. यह है कि छात्र से तीन माह की फीस अग्रिम नहीं ली जाती है ।

08. यह है कि शिक्षण संस्थाएं सरकारी नियमों का पालन करेगी ।

09. यह है कि छात्रों को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधा की राशि निर्धारित ही वसूल की जाती है। 12 माह की राशि छात्र के संरक्षक से प्राप्त नहीं की जाती है। आवागमन के साधनों को 6माह अग्रिम राशि भुगतान करने के निर्देश नहीं दिये जाते है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं.....पुत्र श्री..... शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 09 तक उल्लेखित विवरण रिकॉर्ड से सत्यापित करता हूं और इसमें कोई भी तथ्य नहीं छुपाए गए है।

शपथग्रहिता